



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 अग्रहायण 1941 (श10)
(सं0 पटना 1294) पटना, बुधवार, 27 नवम्बर 2019

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

27 नवम्बर 2019

कठिनाईयों का निवारण आदेश सं० 08/2019-राज्य कर

एस० ओ० 398, दिनांक 27 नवम्बर 2019 बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 44 की उपधारा (1) में यह उपबंधित है कि इनपुट सेवा वितरक, धारा 51 या धारा 52 के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति, नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए इलैक्ट्रानिक रूप से ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात् आने वाले इक्कीस दिसंबर को या उससे पूर्व एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा;

और उक्त अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) में यथा निर्दिष्ट प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए इलैक्ट्रानिक रूप से वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के प्रयोजन में करदाताओं को कुछ तकनीकी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके परिणामस्वरूप उक्त उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा 1 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक की कालावधि और 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक की कालावधि के लिए उक्त वार्षिक विवरणी प्रस्तुत नहीं की जा सकी है और जिसके कारण उक्त धारा के उपबंधों को प्रभावी करने में कतिपय कठिनाईयां उत्पन्न हुई हैं।

अतः, अब, बिहार के राज्यपाल, बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, कठिनाईयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम ।- इस आदेश का संक्षिप्त नाम बिहार माल और सेवा कर (कठिनाईयों को दूर करना, आठवाँ) आदेश, 2019 है ।

2. बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 44 के स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजन के लिए यह घोषणा की जाती है कि 1 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2018 की अवधि के लिए वार्षिक विवरणी 31 दिसंबर, 2019 को या उसके पहले प्रस्तुत की जायगी और 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 की अवधि के लिए वार्षिक विवरणी 31 मार्च, 2020 को या उसके पहले प्रस्तुत की जायगी ।”

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-7)3584)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

27 नवम्बर 2019

एस० ओ० 398, दिनांक 27 नवम्बर 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-7)3584)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 27th November 2019

Removal of Difficulty Order No. 08/2019- State Tax

S.O. 398, Date 27th November 2019— WHEREAS, sub-section (1) of section 44 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this Order referred to as the said Act) provides that every registered person, other than an Input Service Distributor, a person paying tax under section 51 or section 52, a casual taxable person and a non-resident taxable person, shall furnish an annual return for every financial year electronically in such form and manner as may be prescribed on or before the thirty-first day of December following the end of such financial year;

AND WHEREAS, for the purpose of furnishing of the annual return electronically for every financial year as referred to in sub-section (1) of section 44 of the said Act, certain technical problems are being faced by the taxpayers as a result whereof, the said annual return for the period from the 1st July, 2017 to the 31st March, 2018 and for the period from 1st April, 2018 to the 31st March, 2019 could not be furnished by the registered persons, as referred to in the said sub-section (1) and because of that, certain difficulties have arisen in giving effect to the provisions of the said section.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 172 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017, the Governor of Bihar, on recommendations of the Council, hereby makes the following Order, to remove the difficulties, namely:—

1. **Short title.**—This Order may be called the Bihar Goods and Services Tax (Eighth Removal of Difficulties) Order, 2019.

2. For the Explanation in section 44 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017, the following Explanation shall be substituted, namely: –

“*Explanation.*- For the purposes of this section, it is hereby declared that the annual return for the period from the 1st July, 2017 to the 31st March, 2018 shall be furnished on or before the 31st December, 2019 and the annual return for the period from the 1st April, 2018 to the 31st March, 2019 shall be furnished on or before the 31st March, 2020. ”.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-7)3584)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1294-571+10 -डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>